नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखों
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन |
अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023
भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1 - 376/81-फिन(एल.ए.) खण्ड- IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत , नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण कार्य हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया ।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.23 के दौरान नगर पंचायत करसोग मे प्रधान व सचिव के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

(i) प्रधान

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमती ममता गुप्ता	1-4-20 to 18-01-21
2	श्रीमती सीमा गुप्ता	18-01-21 to 31-3-23

(ii) सचिव

क्रमांक	**नाम**	**अवधि**
1	**श्री संजीत शर्मा (तहसीलदार)**	**16-4-18 to 7-6-20**
2	**श्री राजेन्द्र ठाकुर (तहसीलदार)**	**30-7-20 to 26-3-21**
3	**श्री गणेश**	**27-3-21 to 17-9-21**
4	**श्री राजेन्द्र ठाकुर (तहसीलदार)**	**28-9-21 to 20-6-22**
5	**श्री के०सी० शर्मा (तहसीलदार)**	**29-6-22 to 11-10-22**
6	**श्री ओ०पी० शर्मा (नायब तहसीलदार)**	**12-10-22 to 30-11-22**

7	**श्री दिनेश शर्मा**	**17-12-22 to 2-2-23**
8	**श्री कैलाश कौंडल (तहसीलदार)**	**3-2-23 to till date.**

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- नगर पंचायत करसोग के लेखों अवधि 01.04.2020 से 31.03.23 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है: -

क्रम सं.	**अनियमितताओं का सार**	**पैरा सं.**	**(राशि ₹ लाखों में)**
1	वर्ष 2022-23 में रोकड़ बही व बैंक खातो के शेष में अन्तर	4 (घ)	19.38
2	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6 (ख)	39.46
3	नगर पंचायत द्वारा गृहकर का निर्धारण व वसूली न करना	9	--
4	दुकानों के किराये की बकाया वसूली हेतु शेष पाया जाना	10	0.30
5	औपचारिक्ताओ को पूर्ण किये बिना क्रय	13	1.89
6	निर्माण कार्यों के निष्पादन पर संविदाकार को अधिक भुगतान करना	17 (1)(क)	0.90
7	निर्माण कार्यों बिलों से स्त्रोत पर काटी गई कर राशियों को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना	19	1.88
8	क्रय सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	20	12.80
9	MMSAGY के तहत भुगतान राशि के मस्ट्रोल उपलब्ध न होना।	22	11.18

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट– I**(ग) पर दर्शाई गई है । गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अंकेक्षण अधियाचना स० 57, दिनांक 20-4-23 द्वारा गत वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदनो के पैरो पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। अत :नगर पंचायत

द्वारा इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग - 2

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर पंचायत करसोग के लेखों अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे समाविष्ट है, श्री विकास धवन, सहायक नियन्त्रक द्वारा अवधि 22.03.2023 से 23.05.2023 के दौरान नगर पंचायत के करसोग स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 2/2021, 9/2021 व 2/ 2023 तथा व्यय के लिए माह 1/2021, 10/2021 व 9/2022 के लेखों का चयन किया गया ।

अस्वीकरण:- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

नगर पंचायत करसोग के लेखों अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹40000/- आँका गया। सचिव नगर पंचायत करसोग को सहायक नियंत्रक , लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या: 84 दिनांक 20. 05.2023 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग , शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "क"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार नगर पंचायत की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023 की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है:- **[Annexure- 2 & 2(i)]**

Year	Opening	Own Income	Grants	Intt.	Total	Exp.	Closing
2019-20	32475310	124434.30	13422753	657217	46679714.30	8076987.80	38602726.50

2020-21	38602726.50	554538	17295772	1364515	57817551.50	8201727.60	49615823.90
2021-22	49615823.90	626768	7040579	845671	58128841.90	14413800	43715041.90

Closing balances of Bank A/cs as on 31-3-22 (Annexure- 3) ----------------Rs.27035925.60

Add FDRs:-(Annexure-4)

Sr.No.	FDR A/c No.	Date of Investment	Invested Amount	
1	18535(PNB)	28-5-21	2809830	
2	18544(PNB)	28-11-20	2847414	
3	18553(PNB)	28-5-21	2809830	
4	26914(PNB)	5-6-21	6249519	
5	59697351(HDFC, Sunni)	21-8-20	7506404	---------------Rs.*22222997.00

G.Total ---------------------------RS.49258922.60

Less:- Closing balance as per G.cash book as on 31-3-22------------------ Rs.43715041.90

Difference as on 31-3-22 --------------------Rs5543880.70

Year	Opening	Income	Grants	Intt.	Total	Exp.	Closing
2022-23	*49258922.60	556704	5973031	614372	56403029.60	12257357.44	44145672.16

*Opening balance has been taken from Bank A/cs balances as on 1-4-22 + *FDRs .

Closing balances of Bank A/cs as on 31-3-23 (Annexure- 3)------------------Rs.21854783.80

Add:- FDRs as on 31-3-23 (Annexure- 4)----------------------------------- Rs.24228612.00

Total -------------Rs.46083395.80

Less:- Closing balance as per cash book as on 31-3-23----------------------------Rs.44145672.16

Difference as on 31-3-23 --------------------------------- Rs.1937723.6

(क) नगर पंचायत की रोकड़ बही को आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना :-

नगर पंचायत करसोग की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही अवधि 1-4-20 से 31-3-23 तक को आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है बिना सत्यापन रोकड़ बही को सही नहीं माना जा सकता है। जोकि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही को सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ख) रोकड़ बही व बैंक खातों के दिनांक 31-3-22 के अन्तशेष में ₹55.44 लाख के अंतर का समाधान न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमित तौर पर रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था जिसके कारण दिनांक 31-3-22 को रोकड़ बही के अंत शेष तथा बैंक खातों के शेष जमा में ₹5543880.70 का अंतर पाया गया जिसका नगर पंचायत द्वारा समाधान नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करके उक्त अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) वितीय वर्ष 2022-23 से रोकड़ बहियों में बैंक खातो की दिनांक 1-4-23 की शेष राशियों को आरम्भिक शेष लेने बारे :-

नगर पंचायत करसोग द्वारा वितीय वर्ष 2022-23 से विभिन्न अनुदानों व पंचायत निधि के लिए अलग –अलग रोकड़ बही का निर्धारण किया जा रहा है तथा प्रत्येक रोकड़ बही में आरम्भिक शेष बैंक खातो में दिनांक 1-4-23 के शेष को लिया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है | नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31-3-22 को बैंक व रोकड़ बही के ₹5543880.70 लाख के अंतर के लिए बैंक समाधान विवरणी का निर्धारण किये बिना बैंको की शेष राशियों से नई रोकड़ बहियों का रख-रखाव करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | अत: दिनांक 31-3-22 तक रोकड़ बही के अंतिम शेष व बैंक खातो की जमा पूंजी के अंतर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाये |

(घ) वितीय वर्ष 2022-23 में रोकड़ बहियों के अंत शेष व बैंक खातो में जमा पूंजी में ₹19.38 लाख के अंतर बारे :-

नगर पंचायत करसोग की वर्ष 2022-23 की रोकड़ बहियों के दिनांक 31-3-23 के अंत शेष तथा बैंक खातो में जमा शेष राशियों में ₹1937723.64 लाख का अन्तर था जिसका मिलान

नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है | अत: अंतर के मिलान हेतु बैंक समाधान विवरणी का निर्धारण करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ङ) नगर पंचायत के गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण

वितीय वर्ष	**आय (₹)**	**व्यय (₹)**
2020-21	17850310	8201727
2021-22	7667347	14413800
2022-23	6529735	12257357

5 निवेश:-

(i) नगर पंचायत करसोग द्वारा **परिशिष्ट (4)** पर उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को निम्न वर्णित ₹24228612/- सावधि जमा मे निवेशित थी।

Sr. No	**FDR No & A/C No**	**Invested Amount**	**Date of Investment**	**Maturity Value**	**Date of Maturity**	**Rate of Interest**	**Period**
1.	18535 (PNB)	2962611	28.11.2022	3044643	28.05.2023	5.50 %	6 Months
2.	18544 (PNB)	3088163	28.11.2022	3287362	28.11.23	6.30 %	1year
3.	18553 (PNB)	2962609	28.11.2022	3044643	28.05.2023	5.50 %	6 months
4.	26914 (PNB)	6508361	05.06.2022	6846690	05.08.2023	5.10%	14 Months
5.	50300618365204 (New 503000359697351) (HDFC)	8706868	30.04.2022	9160763	1.05.2023	5.10 %	1Year, 2 Days
	Total	**24228612**					

अतः सावधि जमा को परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए |

(ii) नगर पंचायत के लेखों अवधि 01-4-20 से 31.03.2023 के दौरान किए गए निवेशों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों को समय-समय पर बैंक में एफ़डीआर के रूप में रखा गया था परन्तु निवेश से सम्बन्धित कोई भी रजिस्टर /अभिलेख का रख-रखाव पंचायत के स्तर पर नहीं किया गया था जिस कारण समय- समय पर एफ़डीआर की परिपक्वता तिथि को कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई तथा बैंक द्वारा स्त्रौत पर कितना आयकर की कटौती की गई का कोई भी अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं था| अंकेक्षण अधियाचना स०44, दिनांक 4-4-23 द्वारा अभिलेख उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था | नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गये अभिलेख व **परिशिष्ट (4)** पर दिए गए विवरणानुसार केवल खाता स० 26914 में दिनांक 5-6-22 को ₹66031/- की आयकर की कटौती की गई थी| अवधि 1-4-20 के बाद जिन-जिन सावधि निवेश पर आयकर की कटौती की गई है , का पूर्ण विवरण बैंक से प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये, चूँकि नगर पंचायत की आय , आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से मुक्त है इसलिए अर्जित ब्याज से स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जानी चाहिए थी और यदि बैंक द्वारा आयकर कटौती की गई है तो उस राशि को वापिस प्राप्त किया जाना चाहिए था जोकि नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण पंचायत को ब्याज आय की हानि उठानी पड़ी है | अत: स्त्रौत पर काटे गए आयकर के वापसी बारे अब प्राथमिकता के आधार पर बैंक से मामला उठाकर उक्त आयकर राशि की वापिस प्राप्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान:-

(क) नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट "5"** पर प्रस्तुत सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.2020 से 31.03.2023 से सम्बन्धित अनुदानों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

Year	Opening	Receipts	Total	Exp.	Closing
2019-20	32253352.00	13422753	45676105.00	2409622	43266483.00
2020-21	43266483.00	17295772	60562255.00	8198970.90	52363284.10
2021-22	52363284.10	7040579	59403863.10	14383030	45020833.10
2022-23	45020833.10	5973031	50993864.10	11532090	39461774.10

(ख) अनुदानों की ₹39.46 लाख उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

अनुदानों की यथा **परिशिष्ट "5"** पर प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त अनुदान राशि में से नगर पंचायत द्वारा दिनांक

31.3.2023 को ₹39461774.10 उपयोग हेतु शेष थी , जबकि अनुदानों की राशियाँ को निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है । अत: अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय/उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इन राशियों का प्रत्यार्पण संबन्धित विभाग को किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7 तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार न करना व दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करने के कारण लेखों का सत्यापन न कर पाना :-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25-03-2009, UD-H(c)-15-49/2003-III-9337-9385 Dt.07-09-2009 और पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV-5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लेखा खातों को नगर पंचायत करसोग द्वारा उक्त आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-23 हेतु तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर भी लेखा खाते तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण संस्था के लेखा खातों का तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत करसोग द्वारा अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि०प्र० के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना व अन्तिम लेखें जैसे कि तलपट (Trial Balance), प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Receipt & payment) आय व व्यय खाता (Insure & Expenditure A/C) व तुलन पत्र (Balance Sheet) भी बनाया जाना तुरन्त सुनिश्चित किया जाए तथा कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रसीदों को रद्द करने बारे -:

नगर पंचायत करसोग, जिला मंडी की आय से सम्बन्धित रसीद बुको की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाई गई रसीदें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रद्द की गई थी जोकि अनुचित ही नहीं, अत्यन्त आपतिजनक भी है इन रसीदों को रद्द करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में किसी भी रसीद को रद्द करने से पहले सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित की जाये |

क्र.स.	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**राशि**
1	69 ,74&83/09	11-11-20	500 each
2	40,41,66&74/10	11-12-20	2500 each
3	36&37/12	25-2-21	500 each
4	18 &31/11	31-12-20	500 each
5	19/11	-	200
6	2,9,56&69/13	5-4-21 to 22-4-21	500 each
7	41,67/14	17-6-21	-
8	34,35/15	17-9-21	500 each
9	18/15	-	1200
10	51,52&53/15	-	660,160&290
11	20,69,78 & 85/16	-	-
12	75,76,79 &80/17	4-4-22	1050 each
13	81 ,82/17	4-4-22	1400 each
14	86/18	16-10-22	2000
15	94/18	25-10-22	2000
16	36/11	25-2-21	500

17	37/12	25-2-21	500

9 नगर पंचायत द्वारा गृहकर का निर्धारण व वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकरदाताओं से अंकेक्षण अवधि के दौरान गृह कर का निर्धारण व वसूली नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गृहकर का नियमानुसार निर्धारण करके देय गृह कर की बकाया राशि सहित वसूली हेतु नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 तथा 89 मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | यह प्रकरण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/18 तक के पैरा संख्या 7 व अकेक्षण प्रतिवेदन 4/18 से 3/20 के पैरा स०7 द्वारा भी नगर पंचायत के ध्यान में लाया गया था परन्तु इसके बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही न करना गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः यह प्रकरण पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि नगर पंचायत की प्राप्त योय गृह कर की वास्तविक स्थिति का पता लग सके।

10 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.30 लाख वसूली हेतु शेष

किराया माँग व संग्रह के लेखों का अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31-03-2023 को **परिशिष्ट–(6)** के अनुसार दुकानों के किराए की बकाया ₹28600/- वसूली हेतु शेष थी । परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है , जोकि अत्यंत चिन्ता का विषय है। नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक दुकान से ₹250/-प्रति माह किराया लिया जा रहा है जिस में कई वर्षो से कोई भी वृद्धि नहीं की गई है | अत: मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 ₹5000/- की जुर्माना राशि की रसीदों को बिना कारण रद्द करने बारे :-

नगर पंचायत करसोग की रोकड़ बही व रसीद बुको की जाँच करने पर पाया गया कि श्री गोविद राम को जारी नोटिस स० 16/2019 के अंतर्गत ₹2500/- के जुर्माने की वसूली हेतु रसीद स०40/10 , दिनांक 11-12-20 तथा श्री जॉय लाल को नोटिस स०2/2018 के अंतर्गत ₹2500/- के जुर्माने की वसूली हेतु रसीद स० 41/10 जारी की गई थी ,परन्तु दोनों रसीदों को बिना कारण रद्द कर दिया गया था तथा रद्द रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा भी अनुमोदित नही किया गया था | अंकेक्षण अधियाचना स० 53 , दिनांक 18-4-23 द्वारा जारी रसीदों को रद्द करने का औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध सचिव, नगर पंचायत करसोग से किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी स्पष्टिकरण प्रस्तुत नही किया गया | अत: रसीदों को रद्द करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

12 (क) वर्ष 2022-23 में घर द्वार से कूड़ा उठाने की फ़ीस की वसूली न करने बारे :-

नगर पंचायत करसोग के अंकेक्षण अवधि के लेखो की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में घर द्वार से कूड़ा उठाने का कार्य वर्ष 2020 से ठेके पर दिया गया था | घर द्वार से कूड़ा उठाने की फ़ीस पंचायत द्वारा प्रत्येक घर /परिवार से वसूल की जा रही थी | पंचायत के क्षेत्र में कितने परिवार /घर /दुकानें /व्यासायिक परिसर है का विवरण अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध अंकेक्षण अधियाचना स० 47,दिनांक 5-4-23 द्वारा सचिव ,नगर पंचायत से किया गया ,परन्तु कोई भी अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया | रोकड़ बही में दर्ज आय के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹272320/- तथा 2021-22 में ₹358239/- की आय फ़ीस के रूप में प्राप्त की गई थी जबकि वर्ष 2022-23 में कोई भी फ़ीस प्राप्त नही की गई | अंकेक्षण अधियाचना स० 69, दिनांक 6-5-23 द्वारा वर्ष 2022-23 में घर द्वार से कूड़ा उठाने की फ़ीस की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्युतर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किया गया | अत: वर्ष 2022-23 में फ़ीस वसूल न करने का पूर्ण औचित्य अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये , अन्यथा वर्ष 2022-23 की बकाया राशि नगर परिषद के परिवारों/घरों से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) घर द्वार से कूड़ा उठाने से सम्बन्धित निविदायें व अनुबंध की कॉपी जाँच हेतु प्रस्तुत न करना :-

नगर पंचायत करसोग के माह 1/21 के व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत के क्षेत्र से घर द्वार से कूड़ा उठाने का ठेका M/s सोम किशन भारद्वाज को ₹184100/- प्रति माह की दर से दिया गया था | अंकेक्षण अधियाचना स० 56, दिनांक 20-4-23 द्वारा कार्य का ठेका देने से पूर्व प्राप्त की गई निविदाए व कार्य की शर्तो तथा अनुबंध की कॉपी अंकेक्षण को जाँच हेतु उपलब्ध करवाने का अनुरोध सचिव, नगर पंचायत से किया गया, परन्तु अंकेक्षण अवधि तक कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गई जिस कारण ठेकेदार को बिल स० 017, दिनांक 31-12-20 के तहत की गई ₹184100/- की भुगतान राशि की जाँच सम्भव नही हो सकी | अत: घर द्वार से कूड़ा उठाने के कार्य की निविदायें व अनुबंध की कॉपी जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये ताकि निविदायें आमन्त्रित करते समय सभी औपचारिक्ता ओं को पूर्ण किया गया की नहीं की जाँच सम्भव हो सके |

13 औपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.89 लाख के सामग्री का क्रय -:

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित सामान/सामग्री का क्रय करते समय हि०प्र० वित्त नियमावली के चैप्टर-6 (वस्तुओं की खरीद) Procurement of goods के प्रावधानों /औपचारिक्ताओं को पूर्ण नहीं किया गया था -:

Sr. No.	Cash book page.	Name of Firm	Bill No./Date	Items	Amount
1	-	M/s C.M. Manufacturers	48/12-10-20	Water Coolars	54186
2	5/13-5-20	M/s R.K.Sons	085/1-10-19	Utensils	8918
3	84/13-10-21	M/s Usha Furnitures	307/25-4-21	Almira	7500
4	84/13-10-21	M/s Devinder Kumar	005/14-9-21	Plastic Chairs	14250
5	80/13-9-21	M/s Kripal Steel Furniture	1575/nil	Delux Chairs	40574
6	80/13-9-21	M/s Kripal Steel Furniture	1578/nil	Office Tables	47790
7	14/5-1-23	M/s Shitla car Decors	Nil/30-11-22	Flex/Boards etc.	10100
8	17/10-2-23	M/s Mani Ram Nanak Chand	4142 and 4123/10-2-23	Bardana (Bags)	6000

				Total	**₹189318**

वाउचरो की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा `₹189318/- के उपरोक्त सामानों का क्रय करते समय उपरोक्त क्रय मामलों में निविदायें तो प्राप्त की थी परन्तु निविदा बंद लिफाफे में न लेकर खुली हुई प्राप्त की गई थी न ही इनको क्रय समिति के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था व व्यय वाउचरों N.I.Q. व आपूर्ति आदेश की कापी भी संलग्न नहीं थी। फर्मों से प्राप्त निविदा में क्रय सामानों का विशेष विवरण भी नहीं दिया गया था जिसके अभाव में विभिन्न फर्मों की दरों की तुलना सम्भव नहीं हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62, दिनांक 01.05.2023 द्वारा क्रय सामानों हेतु अपनाई गई सभी औपचारिकताओं को पूर्ण रूप से अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु औपचारिकताओं को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि स्टॉक/स्टोर का क्रय करते समय सभी औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था जिसका पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में सामान का क्रय करने से पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

14 सीमेंट ₹2.40 लाख का क्रय खुले बाज़ार से करने बारे :-

नगर पंचायत करसोग में अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने हेतु cement /सीमेंट का क्रय हि० प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से निर्धारित दर से न करके ₹240596/- का सीमेंट खुले बाज़ार से किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम स०	**रोकड़ बही पेज स०**	**बिल स०/दिनांक**	**फर्म का नाम**	**कुल बैग**	**राशि**
1	11/27-7-22	158/nil	M/s Kishor Bhardwaj	207	93150
2	11/27-7-22	156/nil	M/s Kishor Bhardwaj	200	90000
3	39/15-1-21	012/12-20	M/s Som Krishan	132	57446

सीमेंट का क्रय खुले बाज़ार से करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना स० 81, दिनांक 19-5-23 द्वारा ,सचिव,नगर पंचायत से अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुआ | अत: cement का क्रय हि० प्र० राज्य नागरिक

आपूर्ति निगम से निर्धारित दर से न करने का पूर्ण स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए ,सीमेंट का स्टॉक रजिस्टर व खपत विवरण भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा यदि बाजार मुल्य व हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की दरों में कोई अधिक्य पाया जाता है तो अधिक किए गए भुगतान की गणना अपने स्तर पर करके, वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व की गई अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 औपचारिक्ताओं को पूर्ण किये बिना यात्रा भत्ता ₹5760/- का भुगतान :-

नगर पंचायत के व्यय वाउच रें की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही पेज स० 39, दिनांक 28-1-21 को श्री राजेश चौधरी ,सहायक अभियंता को दिनांक 25-7-20, 26-9-20 व 8-12-20 को मंडी से करसोग आने व जाने की यात्रा अपनी कार से करने पर यात्रा भत्ते की एवज में ₹5760/- का भुगतान किया गया था | यात्रा भत्ते बिल की जाँच में निम्न अनियमिताए पाई गई :-

1) यात्रा भत्ता बिल दावेदार अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था |

2) यात्रा भत्ता बिल नगर पंचायत के आहरण एव वितरण अधिकारी द्वारा पास नहीं किया गया था |

3) यात्रा कार्यक्रम को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित /सत्यापित नही किया गया था |

4) यात्रा अपनी कार से करने पर ₹8/- प्रति कि. मी. की दर से भुगतान किया गया था परन्तु बिल में मूल वेतन का उल्लेख नही किया गया था | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी OM No. Fin.-C-B (7)14/98 ,दिनांक 8-12-98 के पैरा 9 के अनुसार ग्रेड 1 व 2 स्तर के अधिकारी ही पैरा 10 (3) में दी गई शर्त के अनुसार अपनी कार का उपयोग करने के लिए अधिकृत है | अंकेक्षण अधियाचना स० 52, दिनांक 18-4-23 द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध सचिव,नगर पंचायत से किया गया परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये अन्यथा भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

16 ₹0.69 लाख के बिल जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे :-

नगर पंचायत करसोग की रोकड़ बही (CFC) पेज स० 17,दिनांक 7-9-22 को M/s J.K.Enterprises को घर द्वार से कूड़ा उठाने हेतु ₹411650/- में से सेवा कर, आयकर व लेबर

सेस की कटौती करने के बाद ₹395186 /- का भुगतान किया गया था | व्यय वाउचरो की जाँच में उपरोक्त फर्म के ₹343000/-के निम्न बिल ही वाउचरो के साथ सलंग्न पाए गये :-

क्रम स०	बिल स०	दिनांक	राशि
1	03	10-5-22	167000
2	04	31-3-22	176000

अत: फर्म को किये गये अधिक भुगतान राशि ₹68650/- के बिल अंकेक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध सचिव,नगर पंचायत से अंकेक्षण अधियाचना स० 82 ,दिनांक 19-5-23 द्वारा किया गया, परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: अधिक भुगतान के बिल व फर्म के साथ किये गये अनुबंध की कॉपी जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

17 निर्माण कार्य :-

(1) Work:- C/O Path from main road Dacchain to H/O Smt. Guddi Devi, ward No. 1

Contractor:-Sh.Bhup Singh

Award Letter:-NP/Works/2020-81, Dated 6-2-21

Time:-3 Months

Date of Completion 3-3-22

M.B. No.:-4

(क) संविदाकार को ₹0.90 लाख का अधिक भुगतान बारे :-

नगर पंचायत करसोग के उपरोक्त कार्य की माप पुस्तक संख्या 4 की जांच करने पर पाया गया कि मद संख्या 8, "P/L precast cement chekered tiles hydraulic compressed 20 mm tick" की कुल मात्रा 293.18 sqm ली गई थी, जबकि माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि वास्तविक निष्पादित मात्रा 175.36 sqm थी जोकि 117.82 sqm अधिक ली गई थी। उक्त मद की अनुमोदित दर ₹843/- प्रति sqm थी। माप पुस्तिका में 175.36 sqm की गणना अधिक लेने के कारण संविदाकार को ₹99322/- का अधिक भुगतान किया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67, दिनांक 4.5.23 द्वारा माप पुस्तिका में ली गई गणना की पुनः जाँच करके पूर्ण औचित्य अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध सचिव, नगर पंचायत से किया गया, परन्तु कोई

भी कार्यवाही अंकेक्षण अवधि में अमल में नहीं लाइ गई। अतः अधिक भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत करना सुनिश्चित किया जाए अथवा अधिक भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अवगत किया जाए।

(ख) उपरोक्त कार्य के लिए 3 माह का समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया था जोकि दिनांक 20.5.21 तक वैध था परन्तु संविदाकार द्वारा कार्य को दिनांक 03.03.22 को पूर्ण किया गया था। कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा कोई भी समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी और न ही कार्य आबंटन की शर्त संख्या 4 के अनुसार 10% जुर्माना लगाया गया था। अतः नगर पंचायत द्वारा कार्य को समय पर पूरा करवाने हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) Work:- C/O Ambulance Road from Naresh Shop to Hospital Gate, W/No.5.

Contractor:-Sh.Hem Raj

Award Letter:-NP/Works/172, Dated 8.3.21

Estimated cost: `326759/-

Awarded Amount :-`695630/-

Time:-3 Months

Date of Completion:- 21.9.21

M.B. No.3

(क) संविदाकार को नेगोसिएशन दर की अपेक्षा दर से गणना करने के कारण ₹2395/-का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त कार्य के बिल व माप पुस्तक की जाँच में पाया गया कि मद संख्या 5 "Cement Concrete 1:2:4" की कुल निष्पादित मात्रा 4.99 cum थी तथा इसकी दर जोकि ₹6800/- प्रति cum थी को संविदाकार द्वारा नेगोसिएशन के पश्चात कम करके ₹6320/- प्रति cum की गई थी। कार्य निष्पादन के पश्चात भुगतान बिल बनाते समय संविदाकार को ₹6320/-के स्थान पर ₹6800/- प्रति cum की दर से भुगतान किया गया जिस कारण संविदाकार को ₹2395/- का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त कार्य के लिए 3 माह का समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया था जोकि दिनांक 23.6.21 तक वैध था परन्तु संविदाकार द्वारा कार्य को दिनांक 21.9.22 को पूर्ण किया गया था।

कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा कोई भी समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी और न ही कार्य आबंटन की शर्त संख्या 4 के अनुसार 10% जुर्माना लगाया गया था। अतः नगर पंचायत द्वारा कार्य को समय पर पूरा करवाने हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आबंटित कार्य राशि पर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) उपरोक्त कार्य का आबंटन संविदाकार को अनुमानित लागत से 112.89 % अधिक दर से किया गया था परन्तु कार्य के आबंटन करने हेतु न्याय संगत दरों का निर्धारण नहीं किया गया था। अतः कार्य का आबंटन 112.89% अधिक दर से करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्याय संगत दरों को जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 57, दिनांक 21.4.23 द्वारा सचिव नगर पंचायत से उपरोक्त अनियमितताओं का पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

(3) Work :- C/O Pacca Path from Sunder Lal field to Satish house in W.No.2

Contractor:- Sh.Som Krishan

Award Letter:-NP/Works/30, Dated 29.1.19

Time:- 3 Months

Date of Completipn: 10.10.20

M.B. No.: 3

(क) उपरोक्त कार्य निर्माण पर 515 बैग सीमेंट की खपत की गई थी परन्तु सीमेंट क्रय से सम्बन्धित बिल जाँच वाउचर के साथ संलग्न नहीं किये गये थे। अतः निर्माण कार्य में उपयोग सीमेंट बैग के बिल संविदाकार से प्राप्त करके वाउचर के साथ संलग्न करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त कार्य की माप पुस्तिका को सहायक अभियंता द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था तथा माप पुस्तिका में दर्ज कुल निष्पादित प्रमात्रा को सहायक अभियंता से अनुमोदित करवाए बिना किया गया भुगतान अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः माप पुस्तिका को सहायक अभियंता से अनुमोदित किये बिना किये गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए माप पुस्तिका की कुल निष्पादित प्रमात्रा को अनुमोदित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त कार्य के लिए 6 माह का समय कार्य पूर्ण करने हेतु दिया गया था जोकि दिनांक 14.5.19 तक वैध था परन्तु संविदाकार द्वारा कार्य को दिनांक 10.10.20 को पूर्ण किया गया था। कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा कोई भी समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अतः नगर पंचायत द्वारा कार्य को समय पर पूरा करवाने हेतु नियमों के अनुसार कार्यवाही न करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63, दिनांक 2.5.23 द्वारा सचिव, नगर पंचायत से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही अंकेक्षण अवधि में अमल में नहीं लाई गई।

(4) संविदाकार को ₹184/- का अधिक भुगतान

नगर पंचायत के निर्माण कार्य C/O Path Mangat Ram House to BDO colony, W.No. 4, आबंटन पत्र NP/Works/2020-86, दिनांक 6.3.21 माप पुस्तिका न० 3 में मद सं० 2 "Excavation in earth work" की कुल निष्पादित प्रमात्रा 67.28 cum की अपेक्षा 70.88 cum दर्ज की गई थी जिस कारण संविदाकार को ₹51/- प्रति cum की दर से ₹184 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। संविदाकार को किये गये अधिक भुगतान का पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65, दिनांक 3.5.23 द्वारा सचिव नगर पंचायत से अनुरोध किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।

18 टेंडर विक्रय के ₹6300/- के चैक बैंक द्वारा अस्वीकार करने बारे :-

नगर पंचायत करसोग की रोकड़ बही पेज स० 28 से 31, दिनांक 15-12-20 व बैंक खाता स० 652 77231575 (SBI) की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा टेंडर विक्रय करने पर ठेकेदारों से ₹350/-की दर से 31 बैंक चैक प्राप्त करके बैंक में जमा किये गये थे ,परन्तु 31 बैंक चैको में से 18 चैक बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम स०	**चैक स०**	**राशि**
1	**059860**	**350**
2	**053403**	**350**
3	**053400**	**350**

4	**053401**	**350**
5	**053405**	**350**
6	**053406**	**350**
7	**053398**	**350**
8	**059859**	**350**
9	**059861**	**350**
10	**059858**	**350**
11	**053399**	**350**
12	**053407**	**350**
13	**175868**	**350**
14	**175869**	**350**
15	**175870**	**350**
16	**053402**	**350**
17	**175871**	**350**
18	**175867**	**350**
	कुल राशि	**6300**

टेंडर विक्रय के 18 चैक बैंक द्वारा अस्वीकार करने का पूर्ण स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना स० 55,दिनांक 19-4 23 द्वारा सचिव,नगर पंचायत से अनुरोध किया गया ,परन्तु अंकेक्षण अवधि तक कोई भी प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: इस सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए बैंक में अस्वीकार हुए चैक की उचित स्त्रोत से भरपाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

19 निर्माण कार्यों बिलों से स्त्रोत पर करों/शुल्कों की काटी गई ₹1.88 लाख को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों से आयकर , वस्तु एवं सेवाकर व कामगार कल्याण सेस की स्त्रोत पर कटौती की गई थी , परन्तु निम्न विवरणानुसार,

आय कर के अतिरिक्त काटी गई अन्य कर/सेस ₹188015/- को संबन्धित विभागों मे अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक जमा नहीं किया गया था और न ही इस की प्रविष्टि रोकड़ बही में की गई थी जबकि नियमानुसार इन राशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़ वही में दर्ज करने उपरान्त संबन्धित विभागों मे तुरंत जमा की जानी चाहिए थी ताकि भविष्य में किसी दण्डात्मक कार्यवाही की सम्भावना को नकारा जा सके।

क्र.सं	**माह**	**कार्य विवरण**	**बिक्री कर(₹)**	**आय कर (₹)**	**लेबर सैस(₹) में**
1	1/21	C/o Pacca Path from Sunder lal field to Satish House,W.No.2	14596	7298	7298
2	3/21	C/o Road from Naresh shop to House of Sunder ,W.No. 4	15418	7709	7709
3	10/21	C/o Ambulance Road from Naresh shop to Hospital gate,W.No.5	12994	6497	6497
4	10/21	C/o Path Mangat Ram House to BDO Colony,W.No.4	16526	8263	8263
5	10/21	C/o Path from Sant ram house to BDO Office Gate.	8246	4123	4123
6	8/21	C/o Ambulance road from mainbazaar to Balakram house,W.No.1	1976	988	988
	3/22	C/o Path from main road	14178	7089	7089

		Dacchain to H/o Guddi Devi,W.No.-1			
	9/22	Door to Door Garbage Collection,M/s J.K.Enterprises.	8233	4116	4116
	1/21	Door to Door Garbage Collection,M/sSom Krishan	-	1841	-
	10/21	do	-	1841	-
		योग	**92167**	**49765**	**46083**

अंकेक्षण अधियाचना स० 57, दिनांक 20-4-23 द्वारा अंकेक्षण अवधि 1-4-20 से 31-3-23 तक विभिन्न निर्माण कार्यो में काटे गये बिक्री कर,आय कर व लेबर सेस का पूर्ण विवरण तथा सम्बन्धित विभागों में जमा करवाई गई राशि के बैंक चा लान जाँच हेतु प्रस्तुत करने का निवेदन ,सचिव ,नगर पंचायत से किया गया परन्तु कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गई | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस सन्दर्भ में अब अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में संबंधित विभाग दण्ड प्रभार कोई रोपित करता है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारी इसके लिए निजी तौर पर जिम्मेवार होगें और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये |

20 नगर पंचायत द्वारा क्रय ₹12.80 लाख के सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :-

नगर पंचायत करसोग के वर्ष 2020-21 से 2022-23 के चयनित व्यय वाउचरो की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा क्रय सामानों के लिए स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नही किया जा रहा था जोकि अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है | नियमानुसार प्रत्येक क्रय सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके तथा खपत विवरण भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है | अंकेक्षण अवधि में व्यय वाउचरो की जाँच में पाया गया कि दिए गये विवरणों के अनुसार ₹1279716/- के सामानों की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नही की गई थी :-

Sr. No.	Cash book page No.	Bill No./Date	Firm	Iteam	Amount
1	5/13-5-20	085/1-10-19	M/s R.K.Sons	Utensils	8918
2	83/13/10-21	165/nil	M/s Mahajan Printers	Stationery	2400
3	do	166,167/nil	do	Stickers	5600
4	39/15-1-21	10,11 & 12/12-20	M/s Som Krishan Bhardwaj	Cement,sand,stone	286859
5	84/13-10-21	6427/8-9-21	M/s Kirpal General Store	A4 Papers	2000
6	do	6422/nil	do	Pens,Note Pad	1465
7	84/13-10-21	307/25-4-21	M/s Usha Furniture	Almira	7500
8	do	005/14-9-21	M/s Devinder Kumar	Plastic Chairs ,30 No.s	14250
9	86/29-10-21	nil	M/s Usha daily need	Brush,Harpic,Brooms,Wiper,Hand sanitizers etc.	4989
10	85/26-10-21	002/nil	M/s U.S.Infotech	U.P.S. 600A	2950
11	80/13-9-21	1575/nil	M/s Kirpal steel Furniture	Delux Chairs,18 No.s, Revolving Chair	40574
12	do	1578/nil	do	Office Tables ,3 No.s	47790
13	80/4-9-21	70/nil	M/s Kishor Bhardwaj	Wooden doors,2No.,Door with jail 3No.	27200
14	do	72/nil	do	Board 19 mm,Lamination Mica Board	42000
15	do	73/nil	do	Cooler and cooler stand	11050
16	do	75/nil	do	Grill office window,Door jail,glass,etc.	11040
17	do	76/nil	do	Paint for External wood, doors,windows	48948
18	11/27-2-22(SFC)	156,158/nil	do	Cement,407 bags	183150
19	do	157/nil	do	Sand,Agg.,stones etc.	286129
20	15/24-8-22(SFC)	3560/11-7-22	M/s Prem Lal & sons	LED Lights 45 w—50 No.	99500
21	19/2-9-22	6493/18-9-	M/s Kirpal	File covers,Registers,A4	8660

	(SFC)	21,9846/30-5-22,7450/5-2-22,7588/25-2-22,9691/12-5-22	General Store	Papers,Pens etc.	
22	20/2-9-22 (SFC)	nil	M/s Satya Prakash	Material for Repairing of Toilet.	13368
23	21/9-9-22 (SFC)	1380/30-5-22,1419/10-8-22,1434/20-8-22 & 1433/19-8-22	M/s Be Cee Traders	Pipes,PVC Nippel,Sisten,waste pipes etc.	7120
24	23/11-10-22 (SFC)	012/1-10-22	M/s Koyla Engineering works	Street lights 40 W-10 No.,MCB	30257
25	20/9-9-22	286/23-8-22	do	Street lights 40 W—40 No.	85999
				Total	1279716

अंकेक्षण अधियाचना स० 57,दिनांक 20-4-23 द्वारा सचिव ,नगर पंचायत करसोग से स्टॉक रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि क्रय सामानों की प्रविष्टियों व खपत विवरण की जाँच स्टॉक रजिस्टर से की जा सके, परन्तु अंकेक्षण अवधि में कोई भी स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया | अत: स्टॉक रजिस्टर का रख -रखाव न करने या अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रत्येक सामान की प्रविष्टि खपत विवरण के साथ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

21 शराब उपकर की प्राप्ति से सम्बन्धित उचित अभिलेख का अनुरक्षण न करना

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत को वितीय वर्ष 2020-21,2021-22 व 2022-23 में शराब उपकर के रूप में कोई भी उपकर प्राप्त नही हुए था | नगर पंचायत को वर्ष 2019-20 में शराब उपकर के ₹323399/- की राशि प्राप्त हुई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा शराब उपकर की प्राप्तियों के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अवधि 1.4.2020 से 31.3.2023 तक कुल कितनी राशि संबधित विभाग से प्राप्ति हेतु बकाया थी । अत: अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख का अनुरक्षण व अद्यतन करने के साथ-2 दिनांक

31.3.2023 तक के शराब उपकर की बकाया राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए और कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

22 नगर पंचायत द्वारा MMSAGY के तहत भुगतान राशि ₹11.18 लाख के मस्ट्रोल बिल/ उपस्थिति रजिस्टर जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

नगर पंचायत करसोग द्वारा MMSAGY के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से करवाए गये कार्यो के तहत कार्यरत लाभार्थियों को निम्न विवरणानुसार ₹1118100/- का भुगतान किया गया था, परन्तु किये गये भुगतान राशि से सम्बन्धित मस्ट्रोल / उपस्थिति शीट वाउचरो के साथ जाँच हेतु उपलब्ध नही थी :-

Sr.No	Cash book page	Amount
1	12/17-8-22 (CFC)	367850
2	17/2-9-22 (CFC)	750250
	Total	1118100

अंकेक्षण अधियाचना स० 80 व 83,दिनाक 19-5-23 द्वारा उपरोक्त भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को जाँच हेतु उपलब्ध करवाने का अनुरोध सचिव ,नगर पंचायत से किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि तक कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नही करवाया गया | अत:मस्ट्रोल/ उपस्थिति रजिस्टर पंचायत में उपलब्ध न होने का पूर्ण स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए भुगतान राशि के मस्ट्रोल / उपस्थिति रजिस्टर को प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये |

23 MMSAGY के तहत क्रय सामग्री ₹10.54 लाख की निविदायें, बिल व स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत न करना :-

नगर पंचायत करसोग द्वारा MMSAGY के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से करवाए गये कार्यो के लिए विभिन्न सामग्री का क्रय करने पर M/s किशोर भारद्वाज को ₹1054216/- का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr.No.	Cash book page	Firm	Amount
1	17/28-9-20	M/s Kishor Bhardwaj	82000
2	81/18-9-21	do	83760
3	20/19-9-22(SFC)	do	571656
4	22/13-10-22(CFC)	do	316800
		Total	1054216

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरो का अंकेक्षण करने पर उपरोक्त भुगतानों के बिल, निविदायें,स्वीकृत दरें व स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु उपलब्ध नही थे | भुगतान राशि के बिल व स्वीकृत दरों को जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाने के लिए अंकेक्षण अधियाचना स० 78, दिनांक 18-5-23 व 83, दिनांक 19-5-23 द्वारा सचिव,नगर पंचायत करसोग से निवेदन किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि तक कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गई | उपरोक्त भुगतान राशियों से क्रय सामानों के बिल निविदायें व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करना, नगर पंचायत के क्रिया-कलाप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितता अथवा दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः बिल, निविदायें व स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

24 बिजली उपकर की प्राप्ति से सम्बन्धित उचित अभिलेख का रख-रखाव न करना :-

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत को वितीय वर्ष 2020-21,2021-22 व 2022-23 में बिजली उपकर के रूप में निम्न राशि की प्राप्ति हुई थी :-

Sr.No.	Cash Book Page/ date.	Amount
1	68/2-8-21	19439
2	91/3-12-21	37614

3	2/4-22	6157
4	4/1-6-22	6877
5	6/19-7-22	3834
6	7/31-8-22	6834
7	10/31-10-22	4757
8	11/25-11-22	2595

नगर पंचायत द्वारा बिजली उपकर की प्राप्तियों के अभिलेख का रख -रखाव नहीं किया गया था जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अवधि 1.4.2020 से 31.3.2023 तक कुल कितनी राशि संबधित विभाग से प्राप्त योग्य थी, कितनी प्राप्त हुई तथा कितनी प्राप्ति हेतु बकाया थी । अत: अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख का अनुरक्षण व अद्यतन करने के साथ-2 दिनांक 31.3.2023 तक के बिजली उपकर की बकाया राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए और कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

25 नियमानुसार विभिन्न रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

लेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार निम्नलिखित रजिस्टरों/अभिलेख रख-रखा व नहीं किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखा व नगर पालिका अधिनियम के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाए:-

(1) G-8 issue Register

(2) Advance Register

(3) FDR Register

(4) Mobile Tower Fee Register

(5) House Tax & Rent D&C Register

(6) T.A check Register

(7) Grant Register

26 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है |

27 **निष्कर्ष:-** नगर पंचायत के लेखों में सुधार एवं लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / –
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–220881

पृष्ठांकन संख्याःवित्त (ले0प0)मु0(2)सी(15)(V)109/18 खण्ड–1-6941-6942 दिनांकः 21.08.2023 शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को विशेष रूप से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2 सचिव, नगर पंचायत करसोग, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / –
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

फोन नं0 0177—220881

परिशिष्ट -1   (पैरा 1 "ग" के सन्दर्भ में)

1) अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/18.

1	पैरा -4 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा -5 (ii) (iii)	अनिर्णीत
3	पैरा -6 ख	अनिर्णीत
4	पैरा -7	अनिर्णीत
5	पैरा -8	अनिर्णीत
6	पैरा -9	अनिर्णीत
7	पैरा -10	अनिर्णीत
8	पैरा -11	अनिर्णीत
9	पैरा -13	अनिर्णीत
10	पैरा -14	अनिर्णीत
11	पैरा -15	अनिर्णीत

2) अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/18 से 3/20 .

1	पैरा -3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क खाता स० 516014 से प्रेषित)
2	पैरा -4 ख	अनिर्णीत
3	पैरा -5	निर्णीत एव पुन: प्रारूपित
4	पैरा -6 ख ,ग	अनिर्णीत
5	पैरा -7	अनिर्णीत
6	पैरा -8	निर्णीत एव पुन: प्रारूपित
7	पैरा -9 (i,ii)	अनिर्णीत
8	पैरा -10 (i,ii)	अनिर्णीत
9	पैरा -11	अनिर्णीत
10	पैरा -12	अनिर्णीत
11	पैरा -13	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार	
आरम्भिक शेष	22
अंकेक्षण के दौरान निपटाए गये पैरों की संख्या	3
वर्तमान में लगाये गये पैरों की संख्या	23
अन्तिम शेष	42